

20.7.23

पत्रावली पेश हुई, न्यायिक कार्य समाप्त कर रखने से पत्रावली दिनांक 31-8-23 को पेश हो।

31-8-23

पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य समाप्त कर रखने से पत्रावली दिनांक 31-8-23 को पेश हो।

9-11-23

उभय पक्ष उपस्थित नहीं। अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अतः पत्रावली दिनांक 8-2-24 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

11-12-23

वकील वार्दी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे पत्रावली सिंगल से तसल की गई। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रकरण में वार्दी अल प्रतिवादीगण के विकट किसी प्रकार का अनुबंध नहीं करना चाहता है। अतः उक्त प्रकरण को शरी स्तर पर डिसे करना चाहता है।
मैंने पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा वकील वार्दी प्रतिवादीगण के विकट अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वकील वार्दी का वाद पत्र-शी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर भन्तर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
नांदेव जिला भीलवाड़ा